संरक्षा शाखा
सोलापुर मंडल

Safety Branch
Solapur Division

संरक्षा परिपत्र
Safety Circular
12/2018-19

विषयः धुंध एवं कोहरे में बरती जाने वाली सावधानियाँ

Sub:- Precaution during Fog.

दिनांक/Date : 10.10.2018

मध्य रेल | मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय
संरक्षा शाखा, सोलापुर

सं.एस यू आर/एस एफ टी/ एस/103 . दिनांक :10.10.2018

संरक्षा परिपत्र संख्या - 12/2018-19

सभी संबंधित - सोलापुर मंडल

विषय :- धुंध एवं कोहरे में बरती जाने वाली सावधानियॉ
****

सुनिश्चत करें -

1. **स्टेशन कर्मचारी -**
   - स्टेशन संचालन नियम के अनुसार दृश्यता परीक्षण लक्ष्य (VTO) उपलब्ध है,
   - पर्याप्त कुहासिये उपलब्ध हैं,
   - प्रथम रोक सिगनल से 270 मीटर पहले फॉग सिगनल पोस्ट लगाया गया है.
   - पर्याप्त पटाखें (जिसकी वैधता समाप्त न हुई हो) उपलब्ध हैं,
2. **गार्ड -**
   - टेल लैम्प, साईड लैम्प एवं हाथ सिगनल जलाये गये है.
   - पर्याप्त पटाखें (जिसकी वैधता समाप्त न हुई हो) उपलब्ध हैं,
   - अपने निजी सामान एवं ब्रेकयान संरक्षा उपकरण यथावत उपलब्ध हें.
3. **लोको पायलट -**
   - हेड लाईट, मार्कर लाईट तथा हाथ सिगनल जलाये गये है.
   - गाड़ी उस गति में हो, जिसमें गाड़ी को किसी अवरोध के पहले खड़ा किया जा सके.
   - गाड़ी की गति किसी भी स्थिति में अधिकतम 60 किमी प्र.घ.से अधिक न हो.
   - अपने निजी सामान एवं लोको संरक्षा उपकरण यथावत उपलब्ध हैं.
   - आने वाली गाड़ी की फलेशर लाईट को देखकर निर्धारित कार्यविधि अपनायी गयी है.
   - सीटी का उन्मुक्त प्रयोग किया जा रहा है तथा आवश्यक सतर्कता अपनायी गयी है.
4. **रेल पथ कर्मचारी -**
   - स्टेशन के प्रथम रोक सिगनल के 270 मीटर पीछे कुहासा संकेत खंभा लगाया गया हैं.
   - कुहासा संकेत खंभा तिरछे काले सफेद रंग से रंगा गया है. कुहासा संकेत खंभे के पास दो स्लीपरों के बीच ट्रेक के आरपार चूने से रंगकर निशान लगाया गया हैं.
   - सीटी बोर्ड, फाग सिगनल पोस्ट, दृश्यता परीक्षण लक्ष्य (VTO), कार्यरत समपार फाटकों को निर्धारित रंगों से स्पष्ट रुप से पेंट किया गया है तथा दृश्यता सुधार करने हेतु उन पर लूमिनस स्ट्रिप्स लगाए गये हैं.
5. **सिगनल व दूरसंचार कर्मचारी -**
   - सभी सिगनल साइटिंग बोर्ड को निर्धारित रंगों से स्पष्ट रुप से पेट किया गया हो तथा दृश्यता सुधार करने हेतु उन लूमिनस स्ट्रिप्स लगाए गये है.
   - सभी सिगनल के लैंप यथावत साफ हो तथा फोकस सही रुप से ठीक किया गया हो.
   - दृश्यता परिक्षण लक्ष्य (VTO) पोस्ट को रात के समय प्रदीप्त रखा गया हो.

नोट :

- मुख्यालय के पत्र क्रमांक टी आर / जी एंड एस आर / सामान्य /102/ दिनांक 25/11/2010 के अनुसार इस मंडल के दौंड - मनमाड तथा दौंड - भिगवन खंडों को कोहरा प्रवण क्षेत्र घोषित किया गया है.
- इसके अतिरिक्त् फॉग सिगनल से संबंधित जी एंड एस आर (1999 संस्करण) के सामान्य एवं सहायक नियम 3.61, 4.08-3, 15.05, 15.09 इत्यादि को ध्यान देने हेतु सूचित किया जाता है.

वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी/सोलापुर